न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–82/2016/टोंक (2016/00051)

1. राजू पुत्र जगदीश, जाति गुर्जर, निवासी देवपुरा, तह0 व जिला टोंक ।
2. पृथ्वीराज पुत्र जगदीश, जाति गुर्जर, नि0 देवपुरा, तह0 व जिला टोंक ।
3. ममता पुत्री जगदीश, जाति गुर्जर, नि0 देवपुरा, तह0 व जिला टोंक ।
4. कशकन्दा पत्नि जगदीश जाति गुर्जर, नि0 देवपुरा, तह0 व जिला टोंक ।

अपीलांट्स

बनाम

1. सुनीता तथाकथित पुत्री जगदीश, जाति गुर्जर, निवासी देवपुरा, तहसील व जिला टोंक ।
2. ग्राम पंचायत सांखना जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, सांखना, तह0 टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक दिनांक 13.5.2016 अंतर्गत अपील संख्या 4/2015 .

उपस्थितः–

1. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 9.7.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 13.5.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, सांखना, तहसील व जिला टोंक ने दिनांक 5.12.2014 को खातेदार जगदीश की मृत्यु होने

पर विरासत नामांतरकण संख्या 309 अपीलांट्स के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये । उक्त नामांतकरण संख्या 309 दिनांक 5.12. 2014 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपील प्रस्तुत कर नामांतकरण संख्या 309 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 13.5.2016 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 309 दिनांक 5.12.2014 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, टोंक को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 में प्रकरण अपीलांट्स की तलबी के लिये चल रहा था तथा प्रकरण में क्रमशः दिनांक 21.9.2015, 8.12.2015, 10.2.2016,7.4.2016, 19.5.2016 की तारीख पेशी प्रदान की गई थी लेकिन इसके पूर्व ही पत्रावली दिनांक 10. 5.2016 को पेशी पर ली जाकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प सांखना में दिनांक 13.5.2016 को प्रस्तुत होने के आदेश पारित किये तथा दिनांक 13.5.2016 को अपीलांट की तलबी हुए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया और न ही कोई नोटिस अपीलांट्स को तामील ही हुआ है। विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित भूमि में रेस्पो0 संख्या 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है और ना ही वह खातेदार जगदीश की पुत्री है एवं ना ही रेस्पो0 संख्या 1 का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रावधानों का उल्लघंन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 13.5.2016 अपास्त किया जावे एवं ग्राम पंचायत सांखना द्वारा तस्दीकशुदा नामांतकरण संख्या 309 दिनांक 5.12. 2014 बहाल किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 141, डब्ल्यू0एल0सी0 सुप्रीम कोर्ट 2007 पेज 578, डी0एन0जे0 2006 पेज 934, आर0आर0डी0 1984 पेज 111, डी0एन0जे0 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 467, डी0एन0जे0 2014 पेज 340, डब्ल्यू0एल0सी0 2014 (4) पेज 5154 एवं डी0एन0जे0 2014 राज0 पेज 1463 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये। xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेटस संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 खातेदार जगदीश की पुत्री है किन्तु खातेदार जगदीश की मृत्यु उपरांत विवादित भूमि का नामांतकरण तस्दीक करते समय रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण नहीं भरा गया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 का भी विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा निहित है । अपीलांटस ने राज्य कर्मचारियों से मिलीभगती करके तथाकथित नामांतकरण तस्दीक कराया है जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य प्रभावी है । ग्राम पचांयत द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक जगदीश की पुत्री है, जो मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिस है । अधी0न्याया0 ने मृतक खातेदार जगदीश के विधिक वारिसान जांच करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस पर मनन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 में अपीलांटस की तामील हुए बिना तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा नामांतकरण संख्या 309 दिनांक 5.12.2014 के विरूद्ध दिनांक 22.7.2015 को अधी0न्याया0 में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने अपील दर्ज कर रेस्पो0/अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् दिनांक 21.9.2015 की आदेशिका के अंकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सम्मन अदम तामील प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 8.12.2015 को नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 7.4.2016 तक पत्रावली तलबी में चलती रही एवं आगामी पेशी दिनांक 19.5.2016 नियत की गई किन्तु पत्रावली दिनांक 10.5.2016 की ली जाकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प सांखना में दिनांक 13.5.2016 को नियत किये जाने के आदेश पारित किये गये । अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली नियत दिनांक 19.5.2016 से पूर्व दिनांक 10.5.2016 को अदालत में रखे जाने हेतु पक्षकार को नोटिस जारी कर सूचित किया जाना पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित नहीं होता है एवं ना ही अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली लोक अदालत राजस्व कैम्प सांखना में रखे जाने हेतु कोई नोटिस अपीलांटस को जारी किये जाने के संबंध में कोई नोटिस ही उपलब्ध है । अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 13.5.2016 के अवलोकन से यह भी प्रकट नहीं होता है कि दिनांक 13.5.2016 को लोक अदालत राजस्व कैम्प सांखना में प्रकरण को पक्षकारान की उपस्थिति में निर्णित किया गया हो । राजस्व लोक अदालत कैम्प में पक्षकारान की सहमति से ही प्रकरण को निर्णित किया जा सकता है किन्तु

प्रस्तुत प्रकरण में तो अपीलांटस की तामील नहीं होना पत्रावली के अवलोकन से पूर्णतया स्पष्ट है । अधी0न्याया0 द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि विपक्षी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का हनन किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त योग्य होकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, टोंक को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–ः<u>क्रियात्मक आदेशः</u>–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 82/2016 (2016/00051) बउनवानी राजू बनाम सुनीता को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 4/2015 बउनवान सुनीता बनाम राजू वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.5.2016 को अपास्त किया जाता है तथा तथा प्रकरण अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, टोंक को प्रकरण में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान पुनः नये सिरे से प्रकरण को निर्णित करे । पक्षकारान दिनांक 8.8.2018 को अधी0न्याया0 में उपस्थिति देवें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 9.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर